कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

ज्ञापन

क्रमांक 1 /पी.ए./2024 बिलासपुर दिनांक 14.5.2024

प्रति,

कलेक्टर,
जिला जॉजगीर–चॉपा।

विषय :– **तत्कालीन हल्का पटवारी श्री कौशल यादव द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत्।**

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि तत्कालीन हल्का पटवारी श्री कौशल यादव द्वारा मौजा बिजौर के पदस्थापना के दौरान मौजा बिजौर स्थित खसरा नं. 396, 398 जो कि निस्तार पत्रक /वाजिब उल अर्ज में शासकीय /कोटवारी भूमि के रूप में दर्ज है के क्रय विक्रय तथा नामांतरण प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताएँ की गई है। जिसकी विस्तृत जॉच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न है तथा तहसील बिलासपुर स्थित मौजा मोपका में पदस्थ रहने के दौरान मोपका स्थित खसरा नं. 992/9 जो की शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है के क्रय विक्रय तथा छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन कर नामांतरण कराये जाने की प्रक्रिया में तत्कालीन हल्का पटवारी श्री कौशल यादव द्वारा गंभीर अनियमितताएँ की गई है। जिसके संबंध में विस्तृत जॉच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न है।

चूंकि हल्का पटवारी श्री कौशल यादव आपके जिले में पदस्थ है। अतः उनके द्वारा उक्तानुसार की गई अनियमितताओं के संबंध में जॉच प्रतिवदेन के तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अवनीश कुमार शरण)
कलेक्टर बिलासपुर

पृ.क्रमांक 2 /पी.ए./2024 बिलासपुर दिनांक 14.5.2024

प्रतिलिपि :–

1– सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2– कमिश्नर, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

कलेक्टर,
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

आदेश

क्रमांक 3 /पी.ए./2024 बिलासपुर दिनांक 14.5.2024

कार्यालय मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 250 सआप्र/खेयुक/2024 दिनांक 23.2.2024 से माननीय मंत्री जी के द्वारा तत्कालीन पटवारी श्री कौशल यादव के ग्राम बिजौर एवं ग्राम मोपका में पदस्थ रहने के दौरान की गई अनियमितताओं के संबंध में बिन्दूवार तथ्यों पर जॉच दल गठित कर जॉच कराकर जॉच प्रतिवेदन एवं तथ्यात्मक अभिमत पेश किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए है। तदनुसार जॉच हेतु टीम गठित की जाती है –

(1) श्री आर.ए. कुरूवंशी, अपर कलेक्टर बिलासपुर।
(2) श्री पीयूष तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर।
(3) श्री अतुल वैष्णव, तहसीलदार बिलासपुर।
(4) श्री खिलेन्द्र यादव, अधीक्षक, भू–अभिलेख बिलासपुर।

गठित जॉच टीम अपना जॉच प्रतिवेदन 7 दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

(अवनीश कुमार शरण)
कलेक्टर बिलासपुर

पृ.क्रमांक 4 /पी.ए./2024 बिलासपुर दिनांक 14.5.2024

प्रतिलिपि :–

1– श्री दुर्गेश कुमार वर्मा, विशेष सहायक, माननीय मंत्री छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटन नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2– सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3– कमिश्नर, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4– श्री आर.ए. कुरूवंशी, अपर कलेक्टर बिलासपुर।
5– श्री पियुष तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर।
6– श्री अतुल वैष्णव, तहसीलदार, बिलासपुर।
7– श्री खिलेन्द्र यादव, अधीक्षक, भू–अभिलेख बिलासपुर।

को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर,
बिलासपुर (छ.ग.)